



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082025-265803
CG-DL-E-30082025-265803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3851]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2025/भाद्र 6, 1947

No. 3851]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2025/ BHADRA 6, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2025

का.आ. 3956(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2353 (अ) तारीख 27 मई, 2025 जो भारत के राजपत्र सं. 2299, भाग -II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 27 मई, 2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हरियाणा राज्य में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को कच्चे तेल के परिवहन के लिए, न्यू मुंद्रा-पानीपत पाइपलाइन परियोजना के तहत, चुडवा गांव से पानीपत तक पाइपलाइन को तहसील- लोहारू, जिला- भिवानी, तहसील- बाढडा, जिला- चरखी दादरी, तहसील- लाखन माजरा, महम जिला- रोहतक, तहसील- गोहाना, जिला- सोनीपत, तहसील- सफीदों, जिला- जींद, तहसील- इसराना, मतलौडा, जिला- पानीपत, राज्य: हरियाणा में बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है। और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला – भिवानी		राज्य– हरियाणा				
तहसील का नाम	गांव का नाम	मुस्तिल नं०	किला नं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लोहारू	बसीरवास	33	15	00	05	69
		34	11	00	04	14
लोहारू	बारवास	17	14/2/2	00	08	02

जिला – चरखी दादरी		राज्य– हरियाणा				
तहसील का नाम	गांव का नाम	मुस्तिल नं०	किला नं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बाढडा	उमरवास	0	368	00	17	50
		0	449	00	06	26
		0	448/3	00	12	41
		0	435/1	00	20	33
बाढडा	जगरमवास	19	1/2	00	03	66
बाढडा	काकरोली हट्टी	0	160/2	00	03	86
		0	160/1	00	18	00
		0	161	00	05	02
		0	169	00	18	49
		0	170	00	00	33
		0	171	00	55	25
		0	177	00	40	61
		0	183	00	00	50
		0	184	00	10	84
		0	185/1	00	08	14
		0	185/2	00	00	18
		0	186	00	09	78
		0	189	00	21	77
		0	192	00	00	20
		0	193	00	26	13

जिला – चरखी दादरी		राज्य– हरियाणा				
तहसील का नाम	गांव का नाम	मुस्तिल नं०	किला नं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बाढडा	काकरोली हट्टी	0	107	00	05	84
		0	106	00	32	61
		0	105	00	16	25
		0	213	00	27	20
		0	196	00	11	81
		0	198	00	28	67
		0	199	00	13	00

जिला – रोहतक		राज्य– हरियाणा				
तहसील का नाम	गांव का नाम	मुस्तिल नं०	किला नं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लाखन माजरा	बैन्सी	90	1/1/1	00	01	90
		90	1/1/2	00	07	64
		80	25/2/1	00	00	56
		80	25/2/2	00	01	15
महम	महम	277	17/1	00	03	88

जिला – सोनीपत		राज्य– हरियाणा				
तहसील का नाम	गांव का नाम	मुस्तिल नं०	किला नं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गोहाना	धनाना अह्लादपुर	196	4/2	00	10	01
		101	18/3	00	04	15
गोहाना	छपरा	10	7	00	02	37
गोहाना	गंगाना	155	21	00	12	31
गोहाना	जागसी	58	12/3	00	08	67

जिला – जींद		राज्य– हरियाणा				
तहसील का नाम	गांव का नाम	मुस्तिल नं०	किला नं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सफीदों	अंचरा कलां	19	23/3	00	06	46

जिला – पानीपत		राज्य– हरियाणा				
तहसील का नाम	गांव का नाम	मुस्तिल नं०	किला नं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
इसराना	छिछराना	70	3/2	00	04	24
मतलौडा	दुमयाना	25	18/2	00	09	62
मतलौडा	वैसर	100	20/2	00	00	81
मतलौडा	भालसी	0	67	00	04	26
मतलौडा	बाल जाटान	46	4/1	00	04	89
मतलौडा	महायुदिनीपुर थिराना	43	8/2/1	00	02	80
		43	13	00	04	99
		43	19	00	00	24
		43	22	00	00	13

[फा. सं. आर-11017/6/2022-ओआर-1/ई-45116]

शशि शेखर सिंह, अवसर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**New Delhi, the 27th August, 2025

S.O. 3956(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 2299, Part-II, Section-3, Sub Section(ii) dated 27th May, 2025 vide S.O. No.2353 (E), dated 27th May, 2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying of Pipeline from Chudva to Panipat under New Mundra - Panipat Pipeline Project by Indian Oil Corporation Limited in **Tehsil-Loharu, District- Bhiwani, Tehsil- Badhra, District- Charkhi Dadri, Tehsil- Lakhna Majra, Maham, District- Rohtak, Tehsil- Gohana, District- Sonipat, Tehsil- Safidon, District- Jind, Tehsil- Israna, Matlauda, District- Panipat** in the State of **Haryana** for transportation of Crude Oil.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public, and whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District - Bhiwani		State - Haryana				
Name of Tehsil	Name of Village	Mustil No.	Survey No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LOHARU	BASIRWAS	33	15	00	05	69
		34	11	00	04	14
LOHARU	BARWAS	17	14/2/2	00	08	02

District – Charkhi Dadri		State - Haryana				
Name of Tehsil	Name of Village	Mustil No.	Survey No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BADHRA	UMERWAS	0	368	00	17	50
		0	449	00	06	26
		0	448/3	00	12	41
		0	435/1	00	20	33
BADHRA	JAGRAMWAS	19	1/2	00	03	66
BADHRA	KAKROLI HATTI	0	160/2	00	03	86
		0	160/1	00	18	00
		0	161	00	05	02
		0	169	00	18	49
		0	170	00	00	33
		0	171	00	55	25
		0	177	00	40	61
		0	183	00	00	50
		0	184	00	10	84
		0	185/1	00	08	14
		0	185/2	00	00	18
		0	186	00	09	78
		0	189	00	21	77
		0	192	00	00	20
		0	193	00	26	13
BADHRA	KAKROLI HATTI	0	107	00	05	84
		0	106	00	32	61
		0	105	00	16	25

District – Charkhi Dadri		State - Haryana				
Name of Tehsil	Name of Village	Mustil No.	Survey No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

0	213	00	27	20
0	196	00	11	81
0	198	00	28	67
0	199	00	13	00

District – Rohtak		State - Haryana				
Name of Tehsil	Name of Village	Mustil No.	Survey No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

LAKHAN MAJRA	BAINSI	90	1/1/1	00	01	90
		90	1/1/2	00	07	64
		80	25/2/1	00	00	56
		80	25/2/2	00	01	15
MAHAM	MAHAM	277	17/1	00	03	88

District – Sonipat		State - Haryana				
Name of Tehsil	Name of Village	Mustil No.	Survey No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

GOHANA	DHANANA AHLADPUR	196	4/2	00	10	01
		101	18/3	00	04	15
GOHANA	CHHAPRA	10	7	00	02	37
GOHANA	GANGANA	155	21	00	12	31
GOHANA	JAGSI	58	12/3	00	08	67

District – Jind		State - Haryana				
Name of Tehsil	Name of Village	Mustil No.	Survey No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

SAFIDON	ANCHRA KALAN	19	23/3	00	06	46
---------	--------------	----	------	----	----	----

District – Panipat		State - Haryana				
--------------------	--	-----------------	--	--	--	--

Name of Tehsil	Name of Village	Mustil No.	Survey No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ISRANA	CHHICHHRANA	70	3/2	00	04	24
MATLAUDA	DUMYANA	25	18/2	00	09	62
MATLAUDA	WAISAR	100	20/2	00	00	81
MATLAUDA	BHALSI	0	67	00	04	26
MATLAUDA	BAL JATAN	46	4/1	00	04	89
MATLAUDA	MAHAYUDINIPUR THIRANA	43	8/2/1	00	02	80
		43	13	00	04	99
		43	19	00	00	24
		43	22	00	00	13

[F. No. R-11017/6/2022-OR-I/E-45116]
SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.